मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

राजस्व वाद संख्या :– 130 / 2025

1. बजरंग	पिसरान बलराम	जाति खाती साकिन 45 एनडीआर
2. रतनलाल	तहसील पीलीबंगा	जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण

ब ना म

1. बलराम पुत्र जालूराम जाति खाती साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 22/08/25

वादी की ओर से श्री राजेन्द्र पटीर अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

वादीगण को चक 42 एनडीआर के खाता सं. 44 / 34 की कुल 2.290 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में से 1.012 हैक. ब.हि.ब. खातेदार काश्तकरी घोषित किये जाते है व शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगा और चक 2 पीडब्ल्यूएम के खाता सं. 25 / 19 की 0.936 हैक. कमांड खातेदारी वादीगण को ब.हि.ब. खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है। चक 2 पीडब्ल्यूएम के खाता सं. 25 / 19 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग खाता कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / और खातेदार यथावत ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:51:39 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 22/08/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा